भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2078
01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेट्रोरसायनों की कीमतों में वृद्धि

2078. श्री जुगल किशोर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पेट्रोरसायनों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान पेट्रोरसायनों की कीमतों में हुई इस वृद्धि का विभिन्न उत्पादों, क्षेत्रों और उपभोक्ता वस्तुओं की पैकेजिंग लागत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेट्रोरसायनों की कीमतों में हुई इस वृद्धि से विभिन्न क्षेत्रों और आम आदमी के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय अपनाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग). पेट्रोरसायन क्षेत्र लाइसेंस-मुक्त और नियंत्रण-मुक्त क्षेत्र है और पेट्रोरसायनों की घरेलू कीमतें नियंत्रित नहीं होती हैं। कीमतें बाजार की गतिशीलता द्वारा निर्धारित होती हैं। उद्योग घरेलू कीमतों को आयात कीमतों के अनुसार निर्धारित करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात कीमतों के विश्लेषण के आधार पर, यह देखा गया है कि प्रमुख पेट्रोरसायनों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में प्रमुख पेट्रोरसायनों की आयात कीमतों में आमतौर पर गिरावट का रुख रहा है। प्रतिस्पर्धी बाजार वातावरण, मूल्य निर्धारण में मदद करता है और कृत्रिम मूल्य वृद्धि को रोकता है।

******